टिप्पणी

6

अर्द्ध सैनिक बल

अर्द्ध सैनिक बल एक प्रकार से आधा सैन्य बल होता है जिसका संगठनात्मक ढाँचा, युक्तियाँ, प्रशिक्षण, उप संस्कृति और कार्य व्यवसायिक सेना की तरह ही होते हैं परन्तु उसको राज्य की औपचारिक सेना में शामिल नहीं किया जाता। यद्यपि अर्द्ध सैनिक बल सेना नहीं होते परन्तु वह प्राय: प्रशिक्षण और संगठनात्मक ढांचे के आधार पर पैदल सेना के समान ही होते हैं। सीमा सुरक्षा बल की भांति, अर्द्ध सैनिक बल जो सीमा की रक्षा में लगा हुआ है-युद्ध के समय सेना के अन्तर्गत आता है और पैदल सेना के कुछ कार्यों को भी करता है।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद, आप :

- अर्द्ध सैनिक बलों का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे;
- भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्द्ध सैनिक बलों का वर्णन तथा उनके विशिष्ट उद्देश्य समझ सकेंगे।

6.1 अर्द्ध सैनिक बल

भारतीय अर्द्ध सैनिक बलों का अभिप्राय ऐसे संगठनों से है जो भारतीय सेना की सहायता करते हैं तथा जिनका नेतृत्व भारतीय सेना अथवा नौ सेना का कोई अधिकारी करता हैं। यद्यपि सरकार के किसी कानून अथवा नियम ने इनको परिभाषित नहीं किया है। हालाँकि पहले 'अर्द्ध सैनिक बल' शब्द का प्रयोग निम्नलिखित आठ बलों के लिए किया जाता था।

1. आसाम राईफल्स
2. स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स
3. भारतीय तट रक्षक
4. केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल
5. सीमा सुरक्षा बल
6. इन्डो तिब्बत सीमा पुलिस
7. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
8. सशस्त्र सीमा बल

2011 से इनको देबारा से दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया जिसमें बाद के छः बलों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहा जाता है।

वर्तमान में पहले तीन भारत के अर्द्ध सैनिक बल हैं- आसाम राईफल्स (गृह मंत्रालय), स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स (केबिनेट सचिवालय का भाग), भारतीय तट रक्षक (रक्षा मंत्रालय का भाग)

6.2 आसाम राईफल्स

आसाम राईफल्स भारत का सबसे पुराना अर्द्ध सैनिक बल है। इस यूनिट की जड़ें 1835 में अंग्रेजों के अधीन बनाए गए अर्द्ध सैनिक बल, 'कछार लेवी', में खोजी जा सकती हैं। तब से आसाम राईफल्स के नाम में अनेक परिवर्तन हुए हैं, 1883 में आसाम फ्रंटीयर पुलिस, 1891 में आसाम मिलिट्री पुलिस, 1913 में ईस्टर्न बंगाल और आसाम मिलिट्री पुलिस और अन्त में 1917 में इसको आसाम राईफल्स का नाम दिया गया।

इतिहास के पन्नों में आसाम राईफल्स और इसकी पूर्ववर्ती यूनिट्स ने प्रथम विश्व युद्ध सहित अनेक संघर्षों में अपनी सेवा दी है जब इसने यूरोप और मध्य एशिया में अपना योगदान दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसने मुख्य रूप से बर्मा में अपनी भूमिका निभाई। इसके बाद इसकी भूमिका और संगठन का बहुत विस्तार हुआ।

वर्तमान में आसाम राईफल्स की 46 बटालियनें हैं जिनमें 63,747 जवान काम कर रहे हैं। यह गृह मंत्रालय के अधीन है। आसाम राईफल्स के लिए आवश्यक अधिकारी भारतीय सेना द्वारा चुने जाते हैं और उन्हें एक निश्चित समय के लिए आसाम राईफल्स में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है। वे अनेक प्रकार की भूमिकाएँ निभाते हैं जिनमें सेना के आधीन रह कर अलगाववाद के विरुद्ध कार्यवाही तथा सीमा सुरक्षा की अनेक कार्यवाहियाँ शामिल हैं। वे आपातकाल में नागरिक प्रशासन की सहायता तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में संचार, चिकित्सा सुविधाएँ और शिक्षा का प्रावधान भी करते हैं।

युद्ध के समय ज़रुरत पड़ने पर उन्हें पीछे के क्षेत्रों में लड़ाका बल की तरह प्रयोग भी किया जा सकता है। 2002 से यह सरकार की 'एक सीमा-एक बल' की नीति के अन्तर्गत भारत म्यांमार सीमा की रक्षा कर रहे हैं।

आसाम राईफल्स रैंक	भारतीय सेना में रैंक
डायरेक्टर जनरल (प्रतिनियुक्ति पर तैनात सेना अधिकारी)	ले. जनरल
इन्सपेक्टर जनरल	मेजर जनरल
डिप्टी इन्सपेक्टर जनलर	ब्रिगेडियर
कमाण्डेण्ट	कर्नल
सेकेन्ड इन कमाण्ड	ले. कर्नल
डिप्टी कमाण्डेण्ट	मेजर
असिस्टेण्ट कमाण्डेण्ट	कैप्टन

6.2.1 सीमा सुरक्षा बल

सीमा सुरक्षा बल सीमाओं की रक्षा करने वाला मूल बल है। यह संघीय सरकार के 6 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इसको 1965 के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में सीमाओं की रक्षा को सुनिश्चित करने तथा उससे जुड़े कार्यों के लिए गठित किया गया था। यह एक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसका गठन शान्ति के समय भारत के पश्चिम की भू-सीमाओं की रक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय अपराधों को रोकने के लिए किया गया है।

यह संघीय सरकार की एक एजेन्सी है जो गृह मंत्रालय के आधीन है। सीमा सुरक्षा बल के अफसरों का अपना केडर है। इसके मुखिया को डायरेक्टर जनरल (महानिदेशक) कहा जाता है, जो प्रारम्भ से ही भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है। यह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्ति पर लेता है।

सीमा सुरक्षा बल का व्यापक विस्तार हुआ है। 1965 में कुछ बटालियनों से शुरु हुए इस बल में अब 186 बटालियन हैं जिसमें 2,57,363 जवान काम कर रहे हैं और इसमें वायु शाखा (एयर विंग) तथा समुद्री शाखा (मेरीन विंग) और पुप्तचर शाखा (इन्टेलिजेन्स विंग) शामिल हैं। वर्तमान में यह सीमाओं की रक्षा करने वाला विश्व का सबसे बड़ा बल है। सीमा सुरक्षा बल ने 1971 की लड़ाई के समय से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिनमें आपरेशन ब्ल्यू स्टार और आपरेशन ब्लैक थंडर शामिल हैं। इसने जम्मू कश्मीर में भी अलगाववाद विरोधी गतिविधियों को चलाया है।

6.2.2 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्ष बल का गठन भारत की संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत 10 मार्च 1969 को 2800 जवानों के साथ हुआ था। बाद में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को संसद द्वारा 15 जून 1983 को एक अन्य अधिनियम पारित करके भारतीय गणतंत्र का एक अर्द्ध सैनिक बल बना दिया गया। वर्तमान में इसके जवानों की संख्या 1,44,418 है। अप्रैल 2017 में सरकार ने इसके संख्या बल को 1,45,000 से बढ़ा कर 1,80,000 कर दिया है। यह बल सीधे गृह मंत्रालय के आधीन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 300 औद्योगिक इकाईयों, ढाँचा विकास की सरकारी परियोजनाओं और पूरे भारत में स्थित सरकारी इमारतों को सुरक्षा प्रदान करता है। केन्द्रीय सुरक्षा बल द्वारा परमाणु ऊर्जा संयत्रों, अन्तरिक्ष प्रतिष्ठानों, टकसालों, तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों, प्रमुख बन्दरगाहों, भारी यान्त्रिकी, स्टील संयत्र, बैराजों, उर्वरक इकाईयों, हवाई अड्डों और हाइड्रोइलेक्ट्रिक तथा तापीय विद्युत संयत्रों, केन्द्रीय सार्वजनिक संस्थानों तथा करेंसी नोट छापने वाली प्रेसों की रक्षा की जाती है। अत: यह पूरे देश में फैले हुए प्रतिष्ठानों की अलग-अलग क्षेत्रों और मौसमों में सुरक्षा का दायित्व संभालता है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्राइवेट उद्योगों तथा भारतीय सरकार के आधीन अन्य संगठनों को परामर्शक सेवाएं भी प्रदान करता है। इसकी परामर्श शाखा के ग्राहकों में भारत के प्रसिद्ध औद्योगिक घराने और संगठन शामिल हैं जैसे टिस्को, जमशेदपुर, सेबी मुख्यालय, मुम्बई

विधान सभा, बैंगलुरु, उड़ीसा माईनिंग कम्पनी, भुवनेश्वर, तेलंगाना विधान सभा, हैदराबाद; बैंगलोर मेट्रोपालिटन ट्रांस्पोर्ट कार्पोरेशन, एच.आई.एल., केरल, आई.बी. थर्मल प्लांट, ओडिसा; आई.ए.आर.आई., दिल्ली, एन.बी.आर.आई., लखनऊ और इलेक्ट्रानिक सिटी, बेंगलुरु।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की परामर्शक सेवाओं में 'सुरक्षा सम्बन्धी परामर्श' और 'अग्नि सुरक्षा परामर्श' शामिल हैं।

भारत के अर्द्ध सैनिक बलों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) एक अनूठा बल है, जो जल मार्गों, वायु सेवाओं तथा भारत के प्रमुख प्रतिष्ठानों के लिए काम करता है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में कुछ बटालियनें आरक्षित हैं जो राज्य पुलिस के साथ मिलकर कानून-व्यवस्था की रक्षा के लिए काम करती हैं। (CISF) बल आपदा प्रबन्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपदा प्रबन्धन पाठ्यक्रम के लिए जवानों को हैदराबाद के एन.आई.एस.ए. (NISA) में प्रशिक्षण दिया जाता है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की एक अनूठी बात यह है कि जहाँ भी यह बल तैनात है वहां इसके पास एक अग्निशमन शाखा होती है जो आग लगने पर सहायता प्रदान करती है।

6.2.3 केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CISF) भारत के केन्द्रीय सशस्त्र बलों में सबसे बड़ा बल है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अन्तर्गत काम करता है। केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल की मूल भूमिका राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा अलगाव विरोधी कार्रवाई करना है। यह बल 27 जुलाई 1939 को क्राऊन रिप्रजेन्टेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 28 दिसम्बर 1949 के अधिनियम के लागू होने पर यह बल केन्द्रीय रिज़र्व सुरक्षा बल बन गया।

कानून-व्यवस्था तथा अलगाव विरोधी कार्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने भारत के आम चुनावों में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सभी संसदीय चुनावों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों ने लगातार प्रमुख भूमिका निभाई है। इन दिनों केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ियों को संयुक्त राष्ट्र के मिशनों में भी तैनात किया जा रहा है।

239 बटालियनों तथा अन्य संस्थापनाओं के साथ केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को भारत का सबसे बड़ा अर्द्ध सैनिक बल माना जाता है, जिसमें 3,13,678 जवानों की संख्या स्वीकृत है। आजकल यह भारत के प्रत्येक भाग में आन्तरिक सुरक्षा की देखभाल कर रहा है और विदेशों में भी भारतीय शान्ति सेना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति प्रयासों के एक अंग के रूप में इसको शामिल किया गया है। यइ अतिविशिष्ट लोगों की सुरक्षा से लेकर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तथा नक्सल विरोधी कार्रवाईयों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ निभा रहा है।

रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) - यह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की विशेष 10 बटालियनों से बना एक बल है। इसका गठन अक्तूबर 1992 में साम्प्रदायिक दंगों और घरेलू अशान्ति से निपटने के लिए किया था। बटालियनों की क्रम संख्या 99 से 108 तक है। रैपिड एक्शन फोर्स संकट की स्थिति में न्यूनतम समय में पहुंचती है और आम जनता में सुरक्षा और विश्वास पैदा करती है।

संसदीय ड्यूटी समूह (पी.डी.जी.) - यह समूह (CRPF) बल की इकाई है जो संसद भवन को सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों की विभिन्न इकाईयों से जवान लिए जाते हैं। संसदीय ड्यूटी समूह को परमाणु तथा जैव-रसायन हमलों से लड़ने, बचाव कार्यों तथा व्यवहारिक प्रबन्धन में प्रशिक्षत किया जाता है।

दृढ़ कार्रवाई करने वाले कमाण्डो 'कोबरा' :

2008 में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल में भारत में चल रहे नक्सली आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए 'कमाण्डो बटालियन फार रिज़ल्यूट एक्शन' को जोड़ा गया था। केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस की यह विशेषज्ञ इकाई देश के कुछ बलों में से एक है जिसे विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। इस विशिष्ट इकाई को छोटे नक्सली समूहों को खोजने और समाप्त करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। इस समय 10 कोबरा इकाईयां हैं। 2008 से 2011 के बीच गठित इन दस इकाईयों को छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश के साथ-साथ असम और मेघालय के विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। यह देश का सर्वोत्तम केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो जंगलों में लड़ने, जीतने और जीवित बने रहने के लिए प्रशिक्षित होता है।

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल रैंक	**पुलिस रैंक**
डायरेक्टर जनरल (महानिदेशक) (भारतीय पुलिस सेवा का सर्वोच्च पद)	राज्य पुलिस का महानिदेशक
स्पेशल डायरेक्टर जनरल (विशेष महानिदेशक) (एच.ए.जी. भारतीय पुलिस सेवा का स्केल)	स्पेशल डायरेक्टर जनरल (विशेष महानिदेशक)
अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल (एच.ए.जी., भारतीय पुलिस सेवा का स्केल जो सीमा सुरक्षा बल में उपलब्ध है)	सी.पी., ए.डी.जी.
इन्सपेक्टर जनरल	इन्सपेक्टर जनरल/ संयुक्त पुलिस आयुक्त
उप महानिरीक्षक (DIG)	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त/DIG
कमाण्डेण्ट (सी.ओ.)	एस.एस.पी./उप पुलिस आयुक्त
सेकेन्ड इन कमाण्ड (डी.सी.)	एस.पी./उप पुलिस आयुक्त
डिप्टी कमाण्डेण्ट	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/ अतिरिक्त उप पुलिस आयुक्त
असिस्टेंट कमाण्डेण्ट (AC) (राजपत्रित अधिकारी)	उप पुलिस अधीक्षक/ अतिरिक्त उप पुलिस आयुक्त

6.2.4 इन्डो तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

1962 में हुए भारत चीन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल अधिनियम के अन्तर्गत इसका गठन 24 अक्तूबर 1962 को किया गया था। इस बल का गठन चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ लगने वाली भारतीय सीमा पर तैनात करने के लिए किया गया था।

सितम्बर 1996 में भारत की संसद ने 'इन्डो तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992' को लागू किया ताकि भारत की सीमाओं तथा उससे जुड़े मसलों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। आई.टी.बी.पी. का पहला मुखिया 'इन्सपेक्टर जनरल' बलबीर सिंह को बनाया गया जो इन्टेलिजेन्स ब्यूरो में पुलिस आफिसर थे। 4 बटालियनों से शुरु हुए आई.टी.बी.पी. (ITBP) का 1978 में पुनर्गठन किया गया और इसका विस्तार करके 2017 में इसकी 56 बटालियन बनायी गई, जिसकी स्वीकृत जवान संख्या 89,432 है।

आई.टी.बी.पी. को आपदा प्रबन्धन, परमाणु, जैविक और रसायनिक संकटों से निपटने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। आई.टी.बी.पी. के जवानों को संयुक्त राष्ट्र के शान्ति प्रयासों में बोस्निया और हर्जेगोबिना, कासोवो, सियरा, लियोन, हैती, पश्चिमी सहारा, सूडान, अफगानिस्तान एवं अन्य विदेशी ठिकानों पर तैनात किया गया।

6.2.5 सशस्त्र सीमा बल (SSB)

सशस्त्र सीमा बल भारत के केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। वर्तमान में यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में काम कर रहा है। 2001 से पहले इस बल को विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2017 में इसकी 67 बटालियनों में संख्या बल 76,377 है।

विशेष सेवा ब्यूरो की पिछली भूमिका भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या को शान्ति और युद्ध के समय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रेरित और एकजुट करना था जिससे राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों में भाईचारे और सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। इसकी वर्तमान भूमिका में सीमा पार के अपराधों और तस्करी के साथ-साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकना शामिल है।

सौंपे गए इस कार्य को पूरा करने के लिए विशेष सेवा ब्यूरो को 1973 के 'सी.पी.सी.'; '1959 के शस्त्र अधिनियम', 1985 के 'एन.डी.पी.एस. अधिनियम' तथा 1987 के 'पासपोर्ट अधिनियम' के अन्तर्गत कुछ विशेष शाक्तियां प्रदान की गई। भारत सरकार 1962 के आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस बल में कुछ अतिरिक्त शाक्तियां देने के बारे में सोच रही है। इन शक्तियों का प्रयोग इन्डो-नेपाल और इन्डो भूटान के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिकिक्म, असम और अरुणाचल प्रदेश की लगती सीमाओं की 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में अथवा विशेष सेवा ब्यूरो की कार्रवाईयों के अन्य क्षेत्रों में किया गया है।

पाठगत प्रश्न 6.1

1. अर्द्ध सैनिक बलों का क्या अर्थ है? स्पष्ट कीजिए।
2. भारत के सबसे पुराने अर्द्ध-सैनिक बल का नाम लिखिए।
3. आठ अर्द्ध सैनिक बलों का वर्णन कीजिए।
4. कोबरा (COBRA) का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

6.2.6 भारतीय तट रक्षक

भारतीय तट रक्षक भारत के समुद्री हितों की रक्षा करते हैं तथा भारत के समुद्री क्षेत्राधिकार क्षेत्र, इसके साथ जुड़े क्षेत्रों तथा विशुद्ध आर्थिक क्षेत्र में समुद्र से सम्बन्धित कानूनों का पालन करवाते हैं। भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना भारत की संसद द्वारा 1978 में पारित 'तट रक्षक अधि नियम' के अन्तर्गत 18 अगस्त 1978 को एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में हुई थी। भारतीय तट रक्षकों के मिशन में निम्नलिखित बातें शामिल हैं।

1. कृत्रिम द्वीपों, तटीय टर्मिनिल्स, तथा अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एवं बचाव करना
2. समुद्र में मछुआरों तथा नाविकों को रक्षा तथा सहायता करना
3. प्रदूषण नियन्त्रण के साथ समुद्र की पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण
4. तस्कर विरोधी गतिविधियों में आबकारी विभाग एवं अन्य अधिकारियों को सहायता करना
5. अंतरराष्ट्रीय समुद्रों एवं क्षेत्रीय समुद्रों में कानून लागू करना
6. वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करना और इस कार्य में सहयोग देना
7. युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय रक्षा

इसके अतिरिक्त दायित्य हैं-

1. तटीय सुरक्षा समन्वय समिति (OSCC)
2. राष्ट्रीय समुद्री शोध और बचाव समन्वय प्राधिकरण (NHSARCA)
3. प्रमुख गुप्तचर एजेन्सी (LIA)
4. तटीय क्षेत्र की सुरक्षा

भारतीय तट रक्षक संगठन का मुखिया डायरेक्टर जनरल (महानिदेशक) होता है जो नई दिल्ली में स्थित तट रक्षक मुख्यालय में बैठता है। तट रक्षक मुख्यालय में इन्सपेक्टर जरनल रैंक के चार डिप्टी डायरेक्टर जनरल होते हैं तथा अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी भी विभिन्न डिवीजनों के मुखिया के रुप में उसकी सहायता करते हैं। भारतीय तट रक्षक का डायरेक्टर जनरल का पद भारतीय नौ सेना के वाईस एडमिरल के पद के बराबर होता है।

क्रियाकलाप 6.1

भारतीय तट रक्षक बल के वर्तमान डायरेक्टर जनरल (महानिदेशक) का नाम खोजिये और उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में दो पंक्तियां लिखिए।

भारतीय तट रक्षक पाँच क्षेत्रों में कार्य करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र का मुखिया 'इन्सपेक्टर जनरल' रैंक का एक अधिकारी होता है। प्रत्येक क्षेत्र को आगे अनेक जिलों में विभाजित किया जाता है जिनमें कोई तटीय राज्य अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र सम्मिलित होता है।

भारतीय तट रक्षक रैंक	**भारतीय नौ सेना रैंक**
डायरेक्टर जनरल (महानिदेशक)	वाईस एडमिरल
विशेष महानिदेशक	वाईस एडमिरल
अतिरिक्त महानिदेशक	वाईस एडमिरल
इन्सपेक्टर जनरल (महानिरीक्षक)	रीयर एडमिरल
उप-महानिरीक्षक	कमोडोर
कमाण्डेण्ट	कैप्टन
कमाण्डेण्ट (जूनियर ग्रेड)	कमाण्डर
डिप्टी कमाण्डेण्ट	ले. कमाण्डर
सहायक कमाण्डेण्ट (दो वर्ष की सेवा)	लेफ्टीनेण्ट
सहायक कमाण्डेण्ट	सब लेफ्टीनेण्ट

6.2.7 स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स (SFF)

स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स 14 नवम्बर 1962 को गठित किया गया एक अर्द्ध सैनिक बल है। इसका मूल लक्ष्य चीन-भारत में पुन: युद्ध होने की स्थिति में चीनी सीमा के पीछे जा कर गुप्त कार्यवाहियाँ करना था। इस बल का गठन सीधे प्रधानमंत्री की देखरेख में आई.बी. (IB) और बाद में रॉ (RAW) की कार्यात्मक कमाण्ड में हुआ था और इसे स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स का नाम दिया गया। इसको मूल रुप से चीन के साथ की नियन्त्रण रेखा से जुड़ी गुप्त सूचनाएँ एकत्रित करना और कमाण्डो कार्यवाही करना था। SFC को 'स्थापना 22' या केवल '22' कहा जाता था क्योंकि इसके पहले इन्सपेक्टर जनरल भारतीय सेना के सुजान सिंह उबान (सेवा निवृत); द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 22 माऊन्टेन रेजीमेण्ट के कमाण्डर हुआ करते थे जो ब्रिटिश भारतीय सेना में प्रख्यात मिलिट्री क्रास प्राप्त अधिकारी थे। सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में 22 माऊन्टेन रेजीमेण्ट का नेतृत्व किया था और उत्तर अफ्रीका में लांग रेंज डेजर्ट ग्रुप स्कावड्रन का नेतृत्व किया था।

उत्तराखंड के चकराता में स्थित यह बल सीधे इन्टेलीजेन्स ब्यूरो (IB) के आधीन रखा गया और बाद में इसको बाहरी गुप्तचर एजेन्सी रॉ के आधीन रखा गया।

पाठगत प्रश्न 6.2

1. भारतीय तट रक्षक के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए।

2. 'स्थापना 22' का क्या अभिप्राय है? इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए।

आपने क्या सीखा

- भारतीय अर्द्ध सेना बल का सम्बन्ध ऐसे तीन संगठनों से है जो भारतीय सशस्त्र बलों की सहायता करते हैं। पहले यह पदनाम आठ बलों के लिए प्रयुक्त होता था। 1) आसाम राईफ्लस, 2) स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स, 3) भारतीय तट रक्षक, 4) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, 5) सीमा सुरक्षा बल, 6) भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, 7) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 8) सशस्त्र सीमा बल। आजकल अन्तिम छः बलों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहा जाता है।

- आसाम राईफल्स भारत का सबसे पुराना अर्द्ध सैनिक बल है। सीमा सुरक्षा बल भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल औद्योगिक इकाईयों, सरकारी ढांचों तथा परियोजनाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल गृह मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करता है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस को चीन के स्वायत क्षेत्र की सीमा के साथ तैनात करने के लिए गठित किया गया था। सीमा सशस्त्र बल गृह मंत्रालय के आधीन है और इसका लक्ष्य भारतीय सीमा के लोगों को राष्ट्रीय एकता के लिए आन्दोलित करना तथा भाईचारे और सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करना था।

- भारतीय तट रक्षक नौ सेना के साथ मिल कर उसके सहयोग से कृत्रिम द्वीपों, मछुआरों और नाविकों की रक्षा करते हैं। स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स को चीन के साथ दोबारा युद्ध होने की स्थिति में चीन की सीमा के पीछे रह कर गुप्त कार्रवाईयाँ करने का काम सौंपा गया है।

पाठान्त प्रश्न

1. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्यों और संगठन की व्याख्या कीजिए।

2. सीमा सुरक्षा बल के कार्य स्पष्ट कीजिए।

3. केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के कार्यों तथा रैंकों के ढांचे की व्याख्या कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

6.1 1. अर्द्ध सैनिक बल आधे सेना बल होते हैं जिनका संगठन ढाँचा, युक्तियाँ, प्रशिक्षण, उप-संस्कृति और कार्य प्रायः व्यवसायिक सेना की भाँति होते हैं लेकिन जिन्हें राज्य की औपचारिक सेना में शामिल नहीं किया जाता।

2. आसाम राईफल्स भारत का सबसे पुराना अर्द्ध सैनिक बल है जिसे 1835 में गठित किया गया था।

3. आठ अर्द्ध सैनिक बल इस प्रकार हैं-

क) आसाम राईफल्स, ख) स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स, ग) भारतीय तट रक्षक, घ) केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल, ड.) सीमा सुरक्षा बल, च) भारत-तिब्बत सीमा बल, छ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ज) सशस्त्र सीमा बल

4. कमाण्डो बटालियन फार रिजोल्यूट एकशन (COBRA)

6.2 1. तट रक्षकों के विभिन्न कार्य

- कृत्रिम द्वीपों, तटीय टर्मिनलों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और रक्षा
- समुद्र में मछुआरों और नाविकों की रक्षा और सहायता करना
- प्रदूषण नियन्त्रण सहित समुद्री पारिस्थितिकीय और पर्यावरण का संरक्षण और रक्षा
- तस्करी विरोधी कार्रवाईयों में आबकारी विभाग एवं अन्य अधिकारियों की सहायता करना
- क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय समुद्रों में समुद्री कानून लागू करना
- वैज्ञानिक आंकडे एकत्र करना और सहयोग करना
- युद्ध में राष्ट्रीय सुरक्षा

2. स्पेशल फ्रंटीयर फोर्स को 'स्थापना 22' अथवा केवल '22' कहा जाता है क्योंकि इसके पहले इन्सपेक्टर जनरल (IG) भारतीय सेना के मेजर जनरल सुजान सिंह उबान (से.नि.) थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में 22 माऊन्टेन रेजीमेण्ट के कमाण्डर हुआ करते थे तथा ब्रिटिश भारतीय सेना के प्रख्यात अधिकारी एवं मिलिट्री क्रास प्राप्त सेना अधिकारी थे।